उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-11/1941/30-4-2013-8(4)पी/68
लखनऊ: दिनांक: दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 88 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य के बीच किए जाने के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित अनुपूरक करार का प्रारूप, एतद्द्वारा समस्त संबंधित की सूचना के लिए और उसके संबंध में अभ्यावेदन आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित किया जाता है।

एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव से संबंधित अभ्यावेदन प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन अनुभाग-4 को संबोधित करके दिनांक जनवरी, 2014 को या उसके पूर्व लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त दिनांक को या उससे पूर्व प्राप्त किये गये प्रस्ताव और अभ्यावेदन पर दिनांक फरवरी, 2014 को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में विचार किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1941/XXX-4-2013-8(4)P/68, dated January , 2014.

No.11/1941 /XXX-4-2013-8(4)P/68,

Dated Lucknow, December , 2013

Notification

In pursuance of the provisions of sub-section (5) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) the following draft of the supplementary agreement proposed to be entered into between the State of Uttar Pradesh and State of Rajasthan is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting representation in connection therewith.

Notice is hereby given that representation with respect to the said proposal should be submitted in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Parivahan Anubhag-4 on or before January , 2014. The proposal and representation received on or before the said date will be considered on February , 2014 by the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Parivahan Vibhag-4 in his office Uttar Pradesh Sachivalaya, Lucknow.

By order,

(B.S. Bhullar)
Pramukh Sachiv.